न्यायालय उप जिलाधिकारी (सदर), आगरा

वाद सं0–1 2017011801881

ज्ञान भारती कॉलेज ऑफ एजूकेशनल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार

अं0धारा–80(1) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006
अध्यादेश–2015
मौजा–रजरई
तहसील व जिला आगरा

आदेश

ज्ञान भारती कॉलेज ऑफ एजूकेशनल द्वारा प्रबन्धक श्री गीताराम लवानियॉ पुत्र श्री चन्दन सिंह निवासी–ए–8 राहुल विहार शमसाबाद रोड, आगरा स्थित आराजी मौजा रजरई के खाता सं0–25 गाटा सं0–146 रकवा 0.5400 है0 माल गुजारी 8 रूपया 45 पैसा की भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 अधिनियम–2015 के अन्तर्गत अकृषक घोषित कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण की जांच हेतु नायब तहसीलदार (सदर), आगरा को अभिलेखीय परीक्षण स्थलीय जॉच करने हेतु निर्देशित किया गया। तहसीलदार (सदर), आगरा ने अपनी आख्या दिनांक 21–04–2017 को प्रस्तुत करते हुए कहा है कि आवेदक के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित भूमि संक्रमणीय भूमिधर है। मौके पर बाउण्ड्रीवॉल हो रही है। प्रश्नगत खाता सं0–25 गाटा सं0–146 रकवा 0.5400 है0 माल गुजारी 8 रूपया 45 पैसा की भूमि को अकृषक घोषित कराये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रश्नगत भूमि अकृषिक है। भूमि पर बाउण्ड्रीवॉल हो रही है। भूमि किसी भी महायोजना व अधिग्रहण के लिये प्रस्तावित नहीं है। उक्त भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति कीं नहीं है तथा पट्टे की नहीं है। भूमि के सम्बन्ध में वाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। आवेदक का गॉवसभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अनाधिकार कब्जा नहीं है। उक्त आराजी मौजा ~~ककुआ~~ रजरई तहसील व जिला आगरा के खाता सं0–25 गाटा सं0–146 रकवा 0.5400 है0 माल गुजारी 8 रूपया 45 पैसा की भूमि पर बाउण्ड्रीवॉल हो रही है। उक्त गाटा की भूमि कृषि, बागवानी, उद्यानीकरण, पशुपालन जिसके अन्तर्गत कुक्कुट पालन, मत्स्य सम्बर्धन भी है, के प्रयोग में नहीं आ रही है। आवेदक ने इस बात का शपथपत्र प्रस्तुत किया है कि उक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवॉल बनी हुई है। प्रश्नगत भूमि में ग्राम सभा, राजकीय आस्थान, नजूल भूमि का अतिक्रमण नहीं है। उपरोक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए मौजा रजरई की खाता सं0–25 गाटा सं0–146 रकवा 0.5400 है0 माल गुजारी 8 रूपया 45 पैसा जो धारा–80 राजस्व संहिता 2006 अध्यादेश–2015 के तहत कृषि भूमि से अकृषिक घोषित कराने हेतु प्रार्थना–पत्र दिया है। तहसील टीम ने राजस्व अभिलेखों खसरा खतौनी सजरे व लेखपाल द्वारा सत्यापित फोटोग्राफ के साथ स्थलीय निरीक्षण जांच की। मौके पर प्रश्नगत भूमि भवन निर्माण का कार्य हो रहा है। पड़ताल के मुताबिक उक्त भूमि में कृषि कार्य नहीं हो रहा है। अतः भूमि को उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 अधिनियम–2015 के अन्तर्गत कृषि भूमि से अकृषिक घोषित करने हेतु जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस भूमि की दर 1,30,00,000/–रू0 प्रति हैक्टेयर है,जिसका रकवा 0.5400 है0 का मूल्यांकन 70,20,000/–रू0 होता है। इस पर 1 प्रतिशत से 70,200/–रू0 आवेदक पर देय होंगे। आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है।

नायब तहसीलदार (सदर) आगरा की आख्या दिनांक 21–04–2017 के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार (सदर), द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। साथ ही स्थल का नजरी नक्शा लाल रोशनाई स्याही से प्रदर्शित किया गया है, को

लेखपाल, तहसीलदार (सदर) द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। नकल खतौनी फसली में आवेदक का नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है व नकल खसरा प्रार्थी का शपथपत्र संलग्न कर भेजा है। चूँकि तहसील आख्यानुसार प्रश्नगत भूमि में कृषि बागवानी मत्स्य पालन, कुक्कट पालन आदि के उपयोग में नहीं आ रही है। आवेदक द्वारा अपने शपथपत्र में यह स्वीकार किया गया है। तहसील आख्या के साथ संलग्न शपथपत्र आदि से संतुष्ट होते हुए उक्त प्रश्नगत भूमि की खाता सं0–25 गाटा सं0–146 रकवा 0.5400 है0 माल गुजारी 8 रूपया 45 पैसा है। उक्त भूमि के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट की दर 1,30,00,000/–रू0 रूपये प्रति हैक्टेयर से इस भूमि रकवा 0.5400 है0 का मूल्यांकन 70,20,000/– रूपये होता है, जिस पर एक प्रतिशित की दर से 70,200/–रू0 आवेदक पर देय होंगे तत्पश्चात् धारा–80 (1) के नियम–85 उ0प्र0 राजस्व संहिता–2006 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित की जाती है। प्रार्थी द्वारा उक्त धनराशि 70,200/–रू0 चाल. सं0–102751 दिनांक 01–05–2017 को स्टेट बैंक छीपीटोला में जमा करा दी गयी. तहसीलदार आख्या आदेश का अंग होगी। तदनुसार प्रख्यापन जारी हो। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर की जाये।

(सुनील कुमार वर्मा)
उप जिलाधिकारी (सदर)
आगरा।

दिनांक:–04–05–2017

TRUE COPY

ATTESTED
Ranjeet Singh
Gazetted Officer
Notary

ONE RUPEE
FIVE RUPEES
INDIA